न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/04/2023

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2023/3

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
सुनीता पुत्री मोहनलाल, निवासी–म.नं. 234, सेक्टर नं.17, पंचकूला (हरियाणा)–134109		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 04.01.2023

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28.02.2023

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रत्यर्थी को प्रा0पत्र दिनांकः 21.11.22 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर आ.ख.नं. 2048, 2050, 2051, 2008, 3091/1993 वाके ग्राम–झिरी, तहसील–थानागजी की किस्म, रकबा, प्रशासन गांवों के संग अभियान अंतर्गत उक्त खसरों के खातेदारों से परिवर्तन, आदेश आदि संबंधी विस्तृत सूचना चाही गई थी।
4. उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 19.12..22 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। इस संबंध में ई–मेल के माध्यम से भी निर्देशित किया गया।
6. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 67 दिनांकः 12.01.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया।
8. अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना के संबंध में पूर्व में भी प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जिसके अपील प्रकरण संख्या 12/145/2022 हैं, उक्त अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांकः 23.01.2023 को निर्णय पारित किया जा चुका है।

9 इस प्रकार **एक ही सूचना आवेदन पर** बार–बार अपील प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त आलोक में प्रश्नगत **अपील खाजिर कर निस्तारित** की जाती है। अपीलार्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि इस प्रकार एक ही सूचना आवेदन पर बार–बार अपील प्रस्तुत कर न्यायालय का समय नष्ट नहीं किया जावे।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 28.02.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० ★ राजस्थान सरकार ★ प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(इन्द्रजीत सिंह)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)